(22)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, भोपाल

III/विविध/ग्वालियर/भू-रा/2017/प्र.क्र. 1822

रामगोपाल आ. श्री रामदयाल सीहोर
निवासी–ग्राम पुराछिन्दवाड़ा तह.हुजूर भोपाल
कृषक ग्राम सतपोन तह.श्यामपुर जिला सीहोर ... आवेदक

विरुद्ध

1. रामदयाल एवं अन्य ... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–35(3) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करते हैं कि :-

1. यह कि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का एक प्रकरण क्रं. 294/II/11-12 आपके न्यायालय में विचाराधीन है । जिसमें पेशी दिनांक 09.05.2017 को नियत की गई थी । जिसमें अनावेदकों को नोटिस तामिल किया गया था । उक्त दिनांक को मेरे अधिवक्ता श्री नरेन्द्र ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके । बीमार होने के कारण ना ही आवेदक को इसके लिये सूचित कर सके । जिस कारण उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है ।
2. यह कि आवेदक की गैरहाजिरी जानबूझकर न की जाकर बल्कि उपरोक्त कारण से हुई है जो कि क्षमा योग्य है ।
3. यह कि यदि प्रकरण को नम्बर पर नहीं लिया गया तो आवेदक को भारी क्षति होगी । जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी ।
4. यह कि आवेदन पत्र समय सीमा में पेश है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्यायहित में प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने की कृपा करें । जिसके लिये आवेदक माननीय न्यायालय का सदा आभारी रहेगा ।

आवेदक
15/6/17

भोपाल
दिनांक : 15.06.2017

रामगोपाल आ. श्री रामदयाल
निवासी–ग्राम पुराछिन्दवाड़ा तह.हुजूर भोपाल
कृषक ग्राम सतपोन तह.श्यामपुर जिला सीहोर

III/विविधा/रजि०/2017/18 २२

11/7/17 गोपाल	आवेदक द्वारा श्री राम गोपाल उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि दिनांक 9/5/17 को अधिवक्तागण की हड़ताल होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था। पुनः बहाल किये जाने का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा R-294-III/11 आ.दि. 9/5/17 पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण दर्ज किया जाता है। सदस्य